न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2014/00146 **दायरा दिनांक : 20.05.2014**

उनवान

1– केसरीलाल आत्मज अमरा, जाति जाटव, निवासी देहरी हाल लंका कालोनी बारां, जिला बारां मृतक कायम मुकामान –
1/1– श्रीमती माया पत्नी स्वर्गीय केसरी लाल
1/2– लाल चन्द आत्मज स्वर्गीय केसरी लाल
1/3– जितेन्द्र आत्मज स्वर्गीय केसरी लाल
1/4– महेश आत्मज स्वर्गीय केसरी लाल
1/5– अनिता पुत्री स्वर्गीय केसरी लाल
1/6– इन्द्रा पुत्री स्वर्गीय केसरी लाल
1/7– कविता पुत्री स्वर्गीय केसरी लाल
जाति जाटव, निवासीगण देहरी हाल लंका कालोनी बारां
2– लड्डूलाल आत्मज अमरा
3– हरिशंकर आत्मज अमरा
4– मुन्नी पुत्री अमरा पत्नी सुन्दरलाल
5– कल्लो पुत्री अमरा पत्नी मुन्ना
जाति जाटव, निवासीगण देहरी हाल लंका कालोनी बारां
.... अपीलांट

बनाम

1– जुगल किशोर पुत्र गुलाब चन्द
2– प्रेमनारायण पुत्र गुलाब चन्द
3– देवराज पुत्र गुलाब चन्द
4– गुलाब चन्द पुत्र अमरा, जाति जाटव, निवासीगण देहरी, तहसील छबडा, जिला बारां
5– दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छबडा, जिला बारां
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री विद्याशंकर गोस्वामी,उमाशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 08.01.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 61/2010 निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.04.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम देहरी, तहसील छबडा में भूमि ख० नं० 388 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा भूमि, ख० नं० 47 की 3 बीघा 9 बिस्वा, ख० नं० 199 की 1 बिस्वा ख० नं० 200 की 14 बिस्वा, ख० नं० 218 की 6 बिस्वा, 219 की 5 बिस्वा कुल 6 किता कुल रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.04.2014 से वादीगण का वाद स्वीकार किया। विवादित आराजी वाके ग्राम देहरी, तहसील छबडा के ख0 नं0 388 रकबा 16.08 बीघा, ख0 नं0 47 रकबा 3.09 बीघा, ख0 नं0 199 रकबा 01 बिस्वा, ख0 नं0 200 रकबा 14 बिस्वा, ख0 नं0 218 रकबा 06 बिस्वा ख0 नं0 219 रकबा 05 बिस्वा, कुल 6 किता रकबा 21.03 बीघा में जगन्या उर्फ जगन्नाथ के स्थान पर वादीगण को वसीयत के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा विवादित आराजियात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का पृथक–पृथक विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है। तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि

आराजी वादग्रस्त अमरा व जगन्या की संयुक्त खातेदारी की है, अमरा के प्रतिवादीगण अपीलान्ट वारिस व उत्तराधिकारी होने से आराजी पर उसके हक अनुसार काबिज काश्त हैं तथा वादीगण रेस्पोडेन्ट ने जिसका कथित वसीयत का हवाला अपने वाद पत्र में किया है, वह वसीयत फर्जी, बनावटी है, तथा उसके विषय में प्रोबेट सक्षम न्यायालय से प्राप्त नहीं किया गया है। अतः अदालत मातहत ने इस पर गौर न कर निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वसीयत दीवानी न्यायालय से सिद्ध नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि विवादित आराजी जगन्या उर्फ जगन्नाथ के 1/2 हिस्से की साजिशपूर्ण तरीके से जगन्या की मृत्यु उपरान्त फर्जी वसीयत तैयार कर हडपने की गरज से वादीगण रेस्पो० 1 ता 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष झूंठा वाद प्रस्तुत किया गया था, और उक्त वाद साबित न होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझ कर रेस्पो० को लाभान्वित करने की गरज से उनके पक्ष में एकतरफा डिक्री कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है, तथा निरस्तनीय है। जगन्या उर्फ जगन्नाथ के निःसन्तान फौत होने के उपरान्त उसकी 1/2 हिस्से की आराजी के मालिक काबिज प्रतिवादीगण अपीलान्ट थे। वादीगण को फर्जी वसीयत से आराजी में किसी प्रकार के अधिकार हासिल नहीं होते हैं, यह सब कानूनी तथ्यों को नजर–अन्दाज कर वादीगण का वाद डिक्री करने में त्रुटि की है, जिसके लिए पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज का अवलोकन नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण मे अपीलान्ट को सुनवाई, साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है, जो न्याय हित में उन्हें दिया जाना जरूरी था, अतः पत्रावली रिमाण्ड किया जाना आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि अपील स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 30.04.2014 निरस्त फरमाया जावे। तद्नुसार दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जाये, पत्रावली रिमाण्ड फरमाई जावे, तथा अन्य जो न्यायोचित सहायता हो प्रदान की जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

हमने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय सुनी। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादी रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188 के तहत वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक वाद प्रस्तुत किया, जिसे अनरजिस्टर्ड फर्जी वसीयत के आधार पर स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.04.2014 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जो अवैधनिक होने से खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त आराजी अमरा व जगन्नाथ उर्फ जगन्या के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। अमरा व जगन्या दोनों भाई थे। जगन्या लाऔलाद फौत हुआ। वादी रेस्पोडेंट ने फर्जी वसीयत तैयार की जगन्या के खाते की आराजी अपने नाम दर्ज करवाने हेतु दावा पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत को प्रोबेट करवाये बिना ही स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय ने घोषणा व बंटवारे के दावे में प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2014 को प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 28.04.2014 को प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अपने विरूद्ध अमल में लायी गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में ऑर्डर 9 नियम 7 एवं धारा 151 सी. पी. सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा व बंटवारे के दावे में प्रतिवादी अपीलांट को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 30.04.2014 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2014 खारिज कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड किया जाये।

बहस पर मनन करने और पत्रावलियों का गहनता से अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विधि का सारभूत बिन्दू निहित है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.11.2011 से दिनांक 15.01.2014 तक पत्रावली न्यायालय में तनकीयात कायम करने हेतु ही प्रस्तुत होती रही है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण हेतु तनकीयात कायम करना पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता। दिनांक 10.02.2014 को पत्रावली न्यायालय में पेश होने पर प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी

गई व पत्रावली तनकीयात कायम किये बिना ही सीधे साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 12.03.2014 को नियत की गई। दिनांक 28.04.2014 को प्रतिवादी अपीलांट द्वारा अपने विरूद्ध अमल में लायी गई कार्यवाही को खारिज करने हेतु ऑर्डर 9 नियम 7 एवं धारा 151 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रार्थना पत्र वकील प्रतिवादी द्वारा बहस सुनने के बाद प्रस्तुत किया गया, प्रकरण में दिनांक 10.02.2014 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई थी, जिसके बाद तीन तारीख पेशी निकल चुकी है। प्रतिवादी द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रकरण में बहस सुनने के बाद प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्रकरण वर्ष 2010 से विचाराधीन है, प्रतिवादी वादपत्र को लम्बा करना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र ऑर्डर 9 नियम 7 एवं धारा 151 सी. पी. सी. सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण वर्ष 2010 से विचाराधीन होने के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा अपने विरूद्ध अमल में लायी गई एकपक्षीय कार्यवाही को खारिज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया था कि दिनांक 10.02.2014 प्रकरण में माननीय न्यायालय में पेशी नियत थी उक्त दिनांक को प्रार्थीगण के परिवार में गमी हो जाने के कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अधीनस्थ न्यायालय को इस कथन पर विचार करते हुए जॉच उपरान्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करना चाहिए था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषणा व बंटवारे के उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम किये बिना एवं प्रतिवादीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दिनांक 30.04.2014 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय को घोषणा एवं बंटवारे के उक्त प्रकरण में सर्वप्रथम तनकीयात कायम करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात् पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.04.2014 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रतिवादी अपीलांट को न्यायहित में सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेखबद्ध करते हुए पुनः नये सिरे से तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के न्यायालय में दिनांक 23.02.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

08/01/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा